न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 222 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट

हलु पुत्र बचाया के कायम मु. इब्राहीम पुत्र तालब खां जाति मुसलमान निवासी देताणी तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.राजस्थान राज्य द्वारा जरिये तहसीलदार शिव

2.स्व. श्रीमती फती पुत्री रूमाली का मु

2/1हाजी अमीन पुत्र फती

2/2सिकनदर पुत्र फती

2/3काले खां पुत्र फती जाति मुसलमान निवासी देताणी

3.स्व.भीखमचन्द पुत्र अचलदास का.मु.

3/1कल्याणमल पुत्र भीखचन्द

3/2लीलचन्द पुत्र भीखचन्द

3/3पारसमल पुत्र भीखचन्द

3/4बाबुलाल पुत्र भीखचन्द

3/5मांगीलाल पुत्र भीखचन्द

3/6इन्द्रीदेवी बेवा भीखचन्द जाति ओसवाल

4.हंजारीमल पुत्र जैकचन्द जाति ओसवाल निवासी हरसाणी तहसील शिव

5.बिलाल पुत्र होती का.मु.

5/1हसनत पत्नी बिलाल

5/2गुलाम रसुल पुत्र बिलाल जाति मुसलमान निवासी देताणी तहसील शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2000 बअनवान हलु बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 30.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल राजस्व ग्राम हरसाणी से नवसृजित 4 ग्राम देताणी तहसील शिव में अपीलांट की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2545 लगभग 40 हल साठीकड का आया है। भू प्रबन्ध विभाग ने वादी के इस खेत रकबा 34.14 बीघा का पर्चा लगान जारी कर शेष रकबा पडौसी खातेदार इसाक व बादल के खेत खसरा नम्बर 2540 में जोड़कर उनके पक्ष में पर्चा लगान जारी कर दिया। वादी ने वाद संख्या 76/71 उक्त खातेदार बादल व इसाक के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर में पेश कर दिनांक 21.11.61 को खसरा नम्बर 2540 में से रकबा 168 बीघा की डिक्री प्राप्त की तथा यह रकबा 168 बीघा वादी के खेत खसरा 2545 से लगता हुआ वादी की खातेदारी में घोषित किया तथा रेकर्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार शिव को दिये। स्वयं वादी ने अपने स्तर से अपने पक्ष में जारी डिक्री का अंकन नहीं किया जा सका। इस दौरान भारत पाक युद्ध 1965 छिड गया और उस युद्ध के दौरान वादी के पडौसी खसरा नम्बर 2540 के खातेदार बादल व ईशाक अपना देश छोड़कर पाक को पलायन कर गये। उक्त खातेदार बादल व ईशाक के पाक जाने के समय तक वादी के पक्ष में प्रभावी नहीं किया गया था, वह खातेदारी में घोषित रकबा यथावत ईशाक व बादल की खातेदारी में ही दर्ज था तथा उनके विरूद्ध परित्यक की कार्यवाही दायर हो जाने से सम्पूर्ण खसरा नम्बर 2540 रकबा 232.05 बीघा खालसा घोषित कर राज्य सरकार में विहीन कर दिया, इस खालसा के आदेश से अपीलांट का खातेदारी में घोषित रकबा भी सरकारी खाते में चला गया। इस परित्यक्त की कार्यवाही की उद्घोषणा के नोटिस गांव देताणी अथवा पंचायत मुख्यालय और सम्बन्धित खसरे पर चस्पा न होने के कारण अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं हुई और बिना अपीलांट की जानकारी में इस परित्यक्त घोषित खसरा नम्बर 2540 का पृथक पृथक आवंटन हो गया जिसमें अपीलांट का खातेदारी घोषित किया गया रकबा उतरदाता संख्या 02 से 05 को आवंटन हुआ और अब आंवटिती इस आराजी का कब्जा प्राप्त करने आये तब अपीलांट को वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ और खातेदारी घोषणा हेतु इस 118 बीघा का धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया गया। उस नोटिस पर कोई कार्यवाही न होने पर वादी ने इस आराजी को अपनी खातेदारी में घोषित करने का वाद न्यायालय में पेश किया गया। हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 01 का कोई जबावदावा पेश नहीं हुआ प्रतिवादी संख्या 02 के वारीसान ने इकबाली जबावदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की और से पृथक पृथक जबाव दावा पेश हुए। प्रतिवादी संख्या 03 के वारीसान का जबाव है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कि अपीलांट ने वाद संख्या 76/71 में डिक्री रूहपोश एवं साजिश तौर से प्राप्त की थी और यही कारण है कि ईशाक व बादल की उपस्थिति में वह अपने पक्ष में पारित डिक्री का साहस नहीं कर सका और उनके पाक चले जाने पर यह भूमि विधि सम्मत कार्यवाही होकर खालसा घोषित की गई। वाद संख्या 76/71 में पारित डिक्री अवधिपार हो चुकी है तथा उसके पश्चात यह भूमि प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को आवंटित हो गई है एवं उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 के इकबाली जवाव को आधार मानकर वादी का दावा अपीलाधीन निर्णय से आंशिक रूप से प्रतिवादी संख्या 02 स्वर्गीय फती को आंवटित रकबा 50 बीघा तक डिक्री कर शेष आराजी बावत वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पूर्व निर्णित वाद संख्या 76/71 में अपीलांट के साथ अपीलांट का भतीज गुलण पुत्र सुराब भी था वह निसंतान कंवारा फौत हो गया मुस्लिम विधि अनुसार अपीलांट ही एक मात्र मृतक गुलण का वारीस है। अधीनस्थ न्यायालय इस तनकी को निर्णित करने का आधार यह लिया है कि वादी ने अपने आपको स्वर्गीय गुलण का वारीस होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया तथा प्रतिवादी संख्या 02 स्वर्गीय फती के वारीसान ने इकबाली जबाव दिया है अतः प्रतिवादी संख्या 02 की सीमा तक वाद स्वीकार किया जाता है विद्वान सहायक कलक्टर का यह आधार विधि सम्मत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/6 तथा प्रतिवादी संख्या 04 ने वादी के दावे को अस्वीकार किया है और इस कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। केवल वाद अस्वीकार करने से वाद खारिज नहीं हो जाता। प्रतिवादीगण ने न तो वाद संख्या 76/71 की वैधता बाबत कोई टिप्पणी की है और न ही उस निर्णय को अस्वीकार किया है केवल वाद को अस्वीकार करने के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा अपने को आवंटित आराजी का बेचान कर देने से अथवा क्रेता को पक्षकार न बनाने का आधार लेकर निर्णय पारित करने में भी भूल की है संपति अंतरण अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अगर दावे की प्रक्रिया के दौरान कोई पक्षकार प्रतिवादी आराजी का बेचान कर देता है तो जिस पड़ौसी का सिद्धांत लागू होता है तथा डिक्री होने पर वह हस्तान्तरित की गई आराजी वादी को लौट आती है। धारा 88 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी

काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत म्याद का बिन्दु लागू ही नहीं होता और इन समस्त आधारों के आधार से यह भली प्रकार साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हस्तगत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 04 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 25.10.2018 को एक राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि मुझे की गई एलोट खसरा नम्बर 2844/2540 रकबा 39.15 बीघा निरस्त कर हलु के वारीस इब्राहीम के नाम डिक्री की जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त सभी तथ्यों से यह साफ जाहिर है कि मौके पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। तथा रेस्पोडेंस के नाम हुए आवंटन गलत है। इसलिए अपीलाधीन आराजी का अपीलांट को खातेदार घोषत किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील उतरदाता संख्या 01 व 03 तथा 04 के विरूद्ध स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाते हुए शेष रही आराजी मौजुदा खसरा नम्बर 2841/2540 रकबा 50 बीघा, खेत खसरा नम्बर 2843/2540 रकबा 40 बीघा तथा खसरा नम्बर 2844/2540 रकबा 39.15 बीघा ग्राम देताणी तहसील शिव को अपीलांट की खातेदारी में घोषित किये जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 2540 रकबा 232.05 बीघा भूमि रकबा राज की है। 1965 में खातेदार बादल और ईशाक पाक पलायन करने के उपरोक्त आराजी खलसा हो गई। सन 1965 में अपीलाधीन आराजी सरकार के पास आई तथा सन 1971 में अपीलाधीन आराजी का आवंटन कर दी गई। सन 1971 से आज तक सरकार का कोई प्रत्यक्ष हित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई का सरकार पक्ष की तरफ से न तो विरोध है तथा न ही सहमति है। यदि अपीलाधीन आराजी पर मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है तो जो न्यायालय उचित समझे वो आदेश पारित करे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी वादी के पक्ष में सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/1961 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.1961 द्वारा वादीगण हलू पुत्र बसाया व गुलण पुत्र सुराब को खसरा नं. 2540 रकबा 168 बीघा मौजा हरसाणी की भूमि का खातेदार घोषित किया गया था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया। इस दरम्यान अपीलाधीन आराजी के खातेदार ईसाक व बादल भारत व पाक के बीच 1965 के युद्ध के समय पाक पलायन करने पर भूमि को खालसा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कर दी गई। उसके पश्चात अपीलाधीन आराजी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई। प्रतिवादी संख्या 02 के कायम मुकाम की तरफ से लोक अदालत की भावना से पेश इकबाली जवाब दावे के आधार पर उनके हिस्से तक दावे को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 से 05 को हुए आवंटन आज भी प्रभाव में है। अपीलांट/वादी द्वारा आवंटन को निरस्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद को प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवावदावा, तथा अपीलांटगण/वादी की तरफ से पेश गवाह एवं प्रतिवादी संख्या 02 के कायम मुकाम की तरफ से पेश इकबाली जबाव के आधार पर लोक अदालत की भावना से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हाती है। मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2000 बअनवान हलु बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2012 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर